

**अनुदान संख्या 35 - राजस्व विभाग**  
**GRANT No. 35 - DEPARTMENT OF REVENUE**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	189707,53,00	190135,79,00	190017,06,88	-118,72,12
पूरक	Supplementary	428,26,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				58,68,23
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	119,84,00	306,76,00	260,39,52	-46,36,48
पूरक	Supplementary	186,92,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				32,31,39

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹11875.12 लाख) दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹42826.00 लाख के पूरक अनुदान का 28 प्रतिशत है और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से कम है।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:-

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, overall savings (₹11872.12 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary grants of ₹42826.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “2052” सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head “2052” Secretariat - General Services			
मू.	O. 33578.00	33200.52	32557.87	-642.65
पू.	S. 750.00			
पु.	R. -1127.48			
मुख्य शीर्ष “2047” अन्य राजकोषीय सेवायें	Major Head “2047” Other Fiscal Services			
मू.	O. 77392.00	115284.79	114531.78	-753.01
पू.	S. 38784.00			
पु.	R. -891.21			
मुख्य शीर्ष “2070” अन्य प्रशासनिक सेवायें	Major Head “2070” Other Administrative Services			
मू.	O. 7506.00	7994.18	7639.76	-354.42
पु.	R. 488.18			
मुख्य शीर्ष “2875” अन्य उद्योग	Major Head “2875” Other Industries			
मू.	O. 46774.00	45731.28	41477.47	-4253.81
पू.	S. 3292.00			
पु.	R. -4334.72			
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 16050002.00	17239789.44	17239789.44	..
पु.	R. 1189787.44			

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष “3602”	Major Head “3602”			
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	2755501.00		
			1565710.56	1565710.56
पु.	R.	-1189790.44		..

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads.

(II) मुख्य शीर्ष “2047” के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के तहत उनके समक्ष दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:—

(II) Supplementary grant obtained under Major Head “2047” remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) “विदेशी मुद्रा विनियमन प्रवर्तन निदेशालय” – ₹40457.00 लाख का मूल प्रावधान ₹11695.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹52152.00 लाख तक बढ़ाया गया जो, तथापि, नए भर्ती किए गए व्यक्तियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में देरी किए जाने और अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने, प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर और जयपुर कार्यालय में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती में देरी किए जाने, नए कार्यालयों की किराए पर लेने की अनुमति नहीं दिए जाने और लखनऊ कार्यालय में पुनरोद्धार कार्य के बिल प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1940.28 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) “Regulation of Foreign Exchange - Enforcement Directorate” - the original provision of ₹40457.00 lakhs was augmented to ₹52152.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11695.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1940.28 lakhs - due to delay in joining of new recruits and officers on deputation, delay in deployment of Central Industrial Security Force at Enforcement Directorate office at Jalandhar and Jaipur, non-approval of hiring of new officer and non-receipt of bills for renovation at Lucknow office.

(खा) “तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण अधिनियम, 1976) – समपहृत सम्पत्ति अपीलीय अधिकरण” – ₹717.00 लाख का मूल प्रावधान ₹500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1217.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण ₹191.87 लाख की

(B) “Smugglers and Foreign exchange Manipulators’ (Forfeiture of Property Act, 1976) - Appellate Tribunal for Forfeited Property” - the original provision of ₹717.00 lakhs was augmented to ₹1217.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹191.87 lakhs - due to non-joining of

सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय – वित्तीय आसूचना एकक भारत (एफ. आई. यू. – आई. एन. डी.)” के अंतर्गत – ₹619.07 लाख की बचत (₹3343.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत भाग के तहत ‘एफ. आई. एन. एन. ई. टी.’ परियोजना पर व्यय की बुकिंग किए जाने रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, प्रशिक्षण, कार्यालय व्यय से संबंधित दावे प्राप्त नहीं होने, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए परामर्शदाता विशेषज्ञ के वेतन की प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने, नए केबिनों के निर्माण को अनुमोदन नहीं मिलने तथा छुट्टी यात्रा रियायत और प्रशिक्षणों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2875” – “अफीम और क्षारीय उद्योग” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “गाजीपुर अफीम फैक्टरी – अफीम की खरीद” के अंतर्गत – ₹700.66 लाख की बचत (₹4072.02 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “नीमच अफीम फैक्टरी – प्रबंधन” – ₹859.58 लाख की बचत (₹3356.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, अफीम गम और पप्पी स्ट्रॉ के कम परिवहन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(गा) “नीमच एल्केलाइड वर्क्स” –

(क) “प्रबंधन” – ₹3255.52 लाख की बचत (₹6566.28 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, एल्केलाइड संयंत्र के बंद होने की अवधि में रसायनों की खरीद नहीं किए जाने, एल्केलाइड संयंत्र बंद होने और छुट्टी यात्रा रियायत एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

officers/staff and non-completion of work by Central Public Works Department.

(III) Under Major Head “2052” - “Secretariat - Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND)” - saving of ₹619.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3343.00 lakhs) was due to booking of expenditure on project ‘FINnet’ under Capital section, non-filling up of vacant posts, non-receipt of claims related to trainings, office expenses, non-reimbursement of salary of Consultant Expert to Reserve Bank of India, non-approval of construction of new cabins and requirement of less funds towards leave travel concession and trainings.

(IV) Under Major Head “2875” - “Opium and Alkaloid Industries” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Ghazipur Opium Factory - Purchase of Opium” - saving of ₹700.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4072.02 lakhs) was due to less requirement of funds by Central Bureau of Narcotics.

(B) “Neemuch Opium Factory - Management” - saving of ₹859.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3356.09 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less transportation of Opium Gum and Poppy Straw and non-receipt of bills from Central Industrial Security Force.

(C) “Neemuch Alkaloid Works” -

(a) “Management” - saving of ₹3255.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6566.28 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-purchase of chemical in shutdown period of alkaloid plant, shutdown of alkaloid plant and receipt of less leave travel concession and medical re-imburement claims.

(ख) “मरम्मत और रखरखाव” – ₹928.67 लाख की बचत (₹2042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य पूरा नहीं होने और सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ग) “अन्य व्यय” – ₹3331.67 लाख की बचत (₹10110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में सरकारी अफीम और एल्केलाइड कार्य, नीमच में तीन महीने के बंद होने के कारण एल्केलाइड संयंत्र में कम संख्या में बैचों के चार्ज होने के कारण हुई।

(b) “Repairs and Maintenance” - saving of ₹928.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2042.00 lakhs) was due to non-completion of work and non-receipt of material.

(c) “Other Expenditure” - saving of ₹3331.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10110.00 lakhs) was due to less charging of batches in Alkaloid Plant owing to 3 month's shutdown in Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch.

(V) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान आरक्षी निधि/जमा लेखाओं को अंतरण माल और सेवा कर मुआवजा निधि को अंतरण” के अंतर्गत – ₹189051.21 लाख की बचत (₹13050000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधि को अंतरित करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” – “विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्य अंतरण – जी. एस. टी. लागू होने से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए मुआवजा” के अंतर्गत – ₹1189789.44 लाख की बचत (₹1305500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में ए. जी प्रमाणपत्र प्राप्त होने के कारण विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को कम जी. एस. टी. मुआवजा जारी किए जाने के कारण हुई।

(VII) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹1954.72 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष “2047” – “सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण – अपील अधिकरण” –

(V) Under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States - Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Transfer to Goods and Service Tax Compensation Fund” - saving of ₹189051.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13050000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards transfer to the fund.

(VI) Under Major Head “3602” - “Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST - Compensation for revenue loss to Union Territory Government with Legislature” - saving of ₹1189789.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1305500.00 lakhs) was due to release of less GST compensation to Union Territories government with legislature owing to less receipt of AG certificates from the Union Territories.

(VII) Under six heads savings of ₹1954.72 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 80 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “2047” - “Customs, Central Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal -

₹622.00 लाख का अधिक व्यय (₹4613.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोनस, भत्तों, सी. ई. एस. टी. ए. टी. बंगलौर, हैदराबाद और चंडीगढ़ में भवन किराये पर लेने के लिए किराये और सी. ई. एस. टी. ए. टी. चेन्नई न्यायपीठ के भवन की लाइसेंस फीस के भुगतान, सी. ई. एस. टी. ए. टी. के अधिकारियों को सेवाओं और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष “2070” – “नारकोटिक्स नियंत्रण केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो” – ₹713.87 लाख का अधिक व्यय (₹6173.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने, जब्ती मामलों के लिए अधिकारियों और सूचना प्रदाताओं को पुरस्कार देने, रिक्त पदों को भरे जाने और अपेक्षाकृत अधिक संख्या में दौरे किए जाने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष “2875” – “अफीम और एल्केलाइड वर्क्स – नीमच अफीम फैक्टरी – अफीम की खरीद” – ₹841.04 लाख का अधिक व्यय (₹8020.41 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच/कोटा के कार्यालय द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान जी. एस. टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए मुआवजा – राज्यों को राजस्व हानि के लिए मुआवजा” – ₹1378840.65 लाख का अधिक व्यय (₹3000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से अपेक्षाकृत अधिक ए. जी प्रमाणपत्र प्राप्त होने के कारण राज्यों को जी. एस. टी. मुआवजा जारी किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹4636.48 लाख) दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹18692.00 लाख के पूरक अनुदान का 25 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:-

Appellate Tribunal” - excess of ₹622.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4613.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards bonus, allowances, rent for hiring building at CESTAT Bangalore, Hyderabad and Chandigarh and license fee payment of CESTAT Chennai bench government building, services to officers of CESTAT and other establishment related expenses.

(II) Major Head “2070” - “Narcotics Control - Central Bureau of Narcotics” - excess of ₹713.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6173.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rewards to officers and informers for destruction of illicit poppy cultivation, seizure cases, filling-up of vacant posts and more tours undertaken.

(III) Major Head “2875” - “Opium and Alkaloid Industries - Neemuch Opium Factory - Purchase of Opium” - excess of ₹841.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8020.41 lakhs) was due to requirement of additional funds by O/o Deputy Narcotics Commissioner, Neemuch/Kota.

(IV) Major Head “3601” - “Other Transfer/ Grants to States - Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST - Compensation for revenue loss to States” - excess of ₹1378840.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000000.00 lakhs) was due to release of GST compensation to the States owing to receipt of more AG certificate from the states.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹4636.48 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grants of ₹18692.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत –
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “4047”	Major Head “4047”				
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	4271.00			
पू.	S.	710.00	4080.27	3922.21	-158.06
पु.	R.	-900.73			
मुख्य शीर्ष “4059”	Major Head “4059”				
लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	9.00			
पू.	S.	17982.00	17610.00	16568.72	-1041.28
पु.	R.	-381.00			
मुख्य शीर्ष “4070”	Major Head “4070”				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	7144.00			
पु.	R.	-2205.53	4938.47	4752.18	-186.29

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹37.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹37.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads.

(II) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – निर्माण प्रवर्तन निदेशालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण” के अंतर्गत – ₹1.00 लाख का मूल प्रावधान ₹498.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹499.00 लाख तक बढ़ाया गया जो तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण जयपुर में भवन भवन के लिए अनुमोदन नहीं मिलने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head “4059” - “Office Buildings - Construction - Construction of Office Building for Enforcement Directorate” - the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹499.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹498.00 lakhs which remained wholly unutilised due to non-approval of proposal for building at Jaipur owing to

(III) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – भूमि का अधिग्रहण प्रवर्तन निदेशालय के लिए – कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण” के अंतर्गत ₹5.00 लाख का मूल प्रावधान ₹11086.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹11091.00 लाख तक बढ़ाया गया जो तथापि देर से अनुमोदन मिलने के कारण जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा भूमि खरीद के लिए भुगतान स्वीकार नहीं करने के कारण ₹862.67 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “4047” – “निर्देशन और प्रशासन संबद्ध कार्यालय (सामान्य/सामाजिक/आर्थिक सेवायें)” के अंतर्गत – ₹1045.55 लाख की बचत (₹4058.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) साइबर लैब उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा के भुगतान का अनुमोदन नहीं किए जाने, जेरोक्स मशीन और फर्नीचर की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “4070” – “निर्देशन और प्रशासन संबद्ध कार्यालय (सामान्य/सामाजिक/आर्थिक सेवायें)” के अंतर्गत – ₹1678.20 लाख की बचत (₹4712.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी कारणों से क्लाउड सेवाओं को लगाने का कार्य रद्द होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹713.62 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थीं और स्वीकृत प्रावधान का क्रमशः 24 प्रतिशत और 35 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत ₹435.63 लाख के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई, जो स्वीकृत प्रावधान का 139 प्रतिशत है।

non-receipt of necessary documents from Central Public Works Department.

(III) Under Major Head “4059” - “Office Buildings - Acquisition of Land - Acquisition of land for construction of Office Building for Enforcement Directorate” - the original provision of ₹5.00 lakhs was augmented to ₹11091.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11086.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹862.67 lakhs - due to non-acceptance of payment for purchase of land by Government of Jammu & Kashmir owing to late approval.

(IV) Under Major Head “4047” - “Direction and Administration - Attached offices (General/Social/Economic Services)” - saving of ₹1045.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4058.00 lakhs) was due to non-approval for payment of annual maintenance contract of Cyber Lab equipment, non-finalisation of procurement of xerox machines and furniture.

(V) Under Major Head “4070” - “Direction and Administration - Attached offices (General/Social/Economic Services)” - saving of ₹1678.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4712.50 lakhs) was due to cancellation of engagement of cloud services owing to technical reasons and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) Under two heads savings of ₹713.62 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 24 percent and 35 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by an excess of ₹435.63 lakhs under one head constituting 139 percent of the sanctioned provision.

**5. मूल्यहास आरक्षी निधि – अफीम और एल्केलाइड फ़ैक्टरीज:-**

ये निधियां एल्केलाइड फ़ैक्टरीजों की नियत आस्तियों पर मूल्य हास लगाने की वाणिज्यिक परिपाटी शुरू करने के लिए 1970-71 में गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फ़ैक्टरी में प्रयुक्त आस्तियों के मूल्य पर गणना किए गए मूल्यहास को इन निधियों में इस अनुदान के प्रति कोंट्रा नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधियों की शेष राशियों पर समय समय पर ब्याज भी इस अनुदान के प्रति कोंट्रा नामे द्वारा इन निधियों में जमा किया जाता है।

मूल्यहास आरक्षी निधि का 2023-24 का लेखा इस प्रकार था:-

**5. Depreciation Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-**

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

The Account of Depreciation Reserve Fund for 2023-24 was as follows:-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)			
		गाजीपुर Ghaziipur		नीमच Neemuch	
		अफीम फ़ैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works	अफीम फ़ैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works
आरंभिक शेष राशि	Opening Balance	13,99,48	17,70,85	13,12,69	32,61,47
प्राप्तियां	Receipts	17,00	42,00	50,00	45,00
जमा किया गया ब्याज	Interest Credited	36,28	47,86	46,57	1,05,64
भुगतान	Payments	..	..	..	..
अंतिम शेष राशि	Closing Balances	14,52,76	18,60,71	14,09,26	34,12,11

**6. नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय निधि:-**

नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना 24 मार्च, 2006 को अधिनियमित “नारकोटिक्स दवायें और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम”, 1985 के तहत की गई थी। इस निधि का गठन नारकोटिक्स औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार, व्यापार से लड़ने, जागरूकता सृजित करने, सरकारी/स्वैच्छिक/अन्य संगठनों और संस्थानों के माध्यम से नशीले पदार्थों के आदी व्यक्तियों की पहचान करने, काउंसिलिंग करने, उनका उपचार करने और उनका पुनर्वास करने सहित सभी प्रकार की सेवायें प्रदान करने के लिए भारत की सार्वजनिक निधि में किया जाता है।

**6. National Fund for Control of Drug Abuse:-**

The National fund for Control of Drug Abuse was established under the “Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act”, 1985 enacted on 24th March, 2006. The fund was constituted in the Public Account of India to provide the whole range of services including combating illicit traffic in narcotic drugs & psychotropic substances, awareness generation, identification, counseling, treatment and rehabilitation of drug addicts through Government/ Voluntary/other organizations and institutions.

अधिनियम के अध्याय टक के तहत जब्त की गई किसी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय, किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा दिए गए अनुदान और निधि में जमा राशि के निवेश से प्राप्त कोई आय निधि में जमा की जाती है और अधिनियम की धारा 7क में निहित प्रावधानों के लिए निधि से प्राप्त कर उपयोग की जाती है।

नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय निधि का वर्ष 2023-24 का लेखा इस प्रकार था:-

प्रारंभिक शेष राशि
प्राप्तियां
संवितरण
अंतिम शेष राशि

#### 7. माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि:-

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में प्रावधान है कि संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जायेगा।

माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि का वर्ष 2023-24 का लेखा इस प्रकार था:-

प्रारंभिक शेष राशि
प्राप्तियां
संवितरण
अंतिम शेष राशि

The amount received for Central Government (after due appropriation met by Parliament), sale proceeds of any property forfeited under chapter V A of the Act, grant made by any person or institution and any income from investment of amount credited to the fund and utilized from the fund for the purposes contained in section 7A of the Act.

The Account of National Fund for Control of Drug Abuse for 2023-24 was as follows:-

	(हजार रुपयों में)
	(In thousands of rupees)
Opening Balance	35,99,04
Receipts	1,72,40
Disbursements	20,62
Closing Balance	37,50,82

#### 7. Goods & Service Tax Compensation Fund:-

The Goods & Service Tax (Compensation to States) Act 2017, provides that compensation to the States will be made for the loss of Revenue arising on account of implementation of Goods & Service Tax in pursuance of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016.

The Account of Goods and Service Tax Compensation Fund for 2023-24 was as follows:-

	(हजार रुपयों में)
	(In thousands of rupees)
Opening Balance	16374,49,52
Receipts	143109,48,79
Disbursements	121159,00,00
Closing Balance	38324,98,31